

an&gt;

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

**आइटम नंबर 2 – श्री राव इंद्रजीत सिंह ।**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5416/17/21]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Investor Education and Protection Fund Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Investor Education and Protection Fund Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Investor Education and Protection Fund Authority, New Delhi, for the years 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5417/17/21]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

- (i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Company Secretaries of India for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2021 published in Notification No. F. No. 104/41/Accts.-1 INTRODUCTION in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> September, 2021.
- (ii) G.S.R.643(E) published in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> September, 2021, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.170(E) dated 1<sup>st</sup> March, 2019.
- (iii) No. 1 of October, 2021 published in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> October, 2021, regarding election to fill vacancy of the 13<sup>th</sup> Council from the Eastern India Regional Constituency of the Institute of Company Secretaries of India.

[Placed in Library, See No. LT 5418/17/21]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act,

1959:-

- (i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Cost Accountants of India for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2021 published in Notification No. G/20-CWA/9/2021 in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> September, 2021.
- (ii) G.S.R.644(E) published in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> September, 2021, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.787(E) dated 15<sup>th</sup> October, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 5419/17/21]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

- (i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Chartered Accountant of India for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2021 published in Notification No. 1-CA(5)/72/2021 dated 29<sup>th</sup> September, 2021.
- (ii) The Chartered Accountants (Election to the Council) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.584(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> August, 2021.
- (iii) G.S.R.642(E) published in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> September, 2021, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.1591(E) dated 12<sup>th</sup> April, 2019.

- (iv) G.S.R.843(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> December, 2021, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.38(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 5420/17/21]

- (6) A copy of the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-3(2)/Regin-Gen.(Amdt.)/2021/CCI in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> September, 2021 under Section 64 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 5421/17/21]

- (7) A copy of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.785(E) in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> November, 2021 under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.791(E) dated 12<sup>th</sup> November, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 5422/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) संशोधन नियम, 2021 जो 26 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 759(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (नमूने लेने की रीति और सूचना का प्ररूप) नियम, 2021 जो 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 5423/17/21]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 3460(अ) जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है ।
- (दो) का.आ. 3688(अ) जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लक्षद्वीप तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है ।
- (तीन) का.आ. 3794(अ) जो 16 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है ।
- (चार) का.आ. 4886(अ) जो 26 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय तटीय खण्डों को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया गया है तथा तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योगों, प्रचालनों और प्रसंस्करणों की स्थापना और विस्तार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं ।
- (पांच) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 जो 12 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 571(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 22 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) का.आ. 4696(अ) जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को दिबांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।
- (आठ) का.आ. 3462(अ) जो 25 सितम्बर, 2019 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को हुलांगपुर-गिबन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

- (नौ) का.आ. 3583(अ) जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को मनाली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।
- (दस) का.आ. 3875(अ) जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कालाटॉप-खजिआर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।
- (ग्यारह) का.आ. 1958(अ) जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को राजपरियन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।
- (बारह) का.आ. 3032(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को अधिचुनचनागिरी मयूर अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।
- (तेरह) का.आ. 4729(अ) जो 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।
- (चौदह) का.आ. 3496(अ) जो 8 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को सैलाना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।
- (पंद्रह) का.आ. 3030(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्रणहित वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(सोलह) का.आ. 3034(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को नयगांव मयूर अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(सत्रह) का.आ. 3877(अ) जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को छपराला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(अठारह) का.आ. 3029(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को लाखरी घाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(उन्नीस) का.आ. 2941(अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को केशरबाग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(बीस) का.आ. 3632(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को रामसागर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(इक्कीस) का.आ. 410(अ) जो 23 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्वाइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य (ब्लॉक-बी)

पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(बाईस) का.आ. 411(अ) जो 28 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को प्वाइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य (ब्लॉक-ए)

पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(तेईस) का.आ. 794(अ) जो 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को ओस्सुडु झील पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(चौबीस) का.आ. 1615(अ) जो 22 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को वेल्लोड पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(पच्चीस) का.आ. 3879(अ) जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कासु ब्रह्मंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(छब्बीस) का.आ. 3152(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को लख बहोसी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(सत्ताईस) का.आ. 4695(अ) जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को नंधौर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (सात) से (सत्ताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले इक्कीस

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5424/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5425/17/21]

- (3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5426/17/21]

- (5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5427/17/21]

- (7) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5428/17/21]

- (9) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020

के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5429/17/21]

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5430/17/21]

- (3) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स धर्मशाला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5431/17/21]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-**

(1) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में-केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में-केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5432/17/21]

- (3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2019-पीएण्डडी जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5433/17/21]

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5434/17/21]

- (2) (एक) समग्र शिक्षा (राज्य कार्यान्वयन सोसायटी) मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) समग्र शिक्षा (राज्य कार्यान्वयन सोसायटी) मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5435/17/21]

- (4) (एक) यूईई मिशन के समग्र शिक्षा कार्यालय, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) यूईई मिशन के समग्र शिक्षा कार्यालय, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5436/17/21]

- (6) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 17 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1302(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5437/17/21]

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT  
5438/17/21]

- (2) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, अमृतसर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT  
5439/17/21]

- (3) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT  
5440/17/21]

- (4) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुूपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुूपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुूपति के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT  
5441/17/21]

- (5) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान,

तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT  
5442/17/21]

- (6) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5443/17/21]

- (8) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5444/17/21]

- (10) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5445/17/21]

- (12) (एक) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5446/17/21]

- (14) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT  
5447/17/21]

- (15) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5448/17/21]

- (17) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली विनियम, 2021 जो दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच (चार) में प्रकाशित हुए थे ।

- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू विनियम, 2021 जो दिनांक 1 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर विनियम, 2021 जो दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएम/एसआर/डी/1/21-103 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम विनियम, 2021 जो दिनांक 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 34-1/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर विनियम, 2021 जो दिनांक 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.पांच में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक विनियम, 2021 जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएमआर / प्रशा./ 2021 /61 में प्रकाशित हुए थे ।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT  
5449/17/21]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE**

**(DR. BHAGWAT KARAD):** Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2020-2021, under sub-section (5) of Section 40 of the National Housing Bank Act, 1987.

[Placed in Library, See No. LT 5450/17/21]

- (2) A copy of the Separate Audit Report (Hindi and English versions) of Stressed Assets Stabilisation Fund, Mumbai, for the years 2013-2014 to 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 5451/17/21]

- (3) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31<sup>st</sup> March, 2021 together with Auditor's Report thereon:-

- (i) Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Warangal

[Placed in Library, See No. LT 5452/17/21]

- (ii) Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa

[Placed in Library, See No. LT 5453/17/21]

- (iii) Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun

[Placed in Library, See No. LT 5454/17/21]

- (iv) Aryavart Bank, Lucknow

[Placed in Library, See No. LT 5455/17/21]

- (v) Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati  
[Placed in Library, See No. LT 5456/17/21]
- (vi) Bangiya Gramin Vikash Bank, Berhampore  
[Placed in Library, See No. LT 5457/17/21]
- (vii) Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodara  
[Placed in Library, See No. LT 5458/17/21]
- (viii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer  
[Placed in Library, See No. LT 5459/17/21]
- (ix) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Gorakhpur  
[Placed in Library, See No. LT 5460/17/21]
- (x) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur  
[Placed in Library, See No. LT 5461/17/21]
- (xi) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur  
[Placed in Library, See No. LT 5462/17/21]
- (xii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna  
[Placed in Library, See No. LT 5463/17/21]
- (xiii) Ellaquai Dehati Bank, Srinagar  
[Placed in Library, See No. LT 5464/17/21]
- (xiv) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi

[Placed in Library, See No. LT 5465/17/21]

(xv) J&K Grameen Bank, Jammu

[Placed in Library, See No. LT 5466/17/21]

(xvi) Jharkhand Rajya Gramin Bank, Ranchi

[Placed in Library, See No. LT 5467/17/21]

(xvii) Karnataka Gramin Bank, Ballari

[Placed in Library, See No. LT 5468/17/21]

(xviii) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad

[Placed in Library, See No. LT 5469/17/21]

(xix) Kerala Gramin Bank, Thiruvananthapuram

[Placed in Library, See No. LT 5470/17/21]

(xx) Madhya Pradesh Gramin Bank, Indore

[Placed in Library, See No. LT 5471/17/21]

(xxi) Madhyanchal Gramin Bank, Sagar

[Placed in Library, See No. LT 5472/17/21]

(xxii) Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad

[Placed in Library, See No. LT 5473/17/21]

(xxiii) Manipur Rural Bank, Imphal

[Placed in Library, See No. LT 5474/17/21]

(xxiv) Meghalaya Rural Bank, Shillong

[Placed in Library, See No. LT 5475/17/21]

(xxv) Mizoram Rural Bank, Aizawl

[Placed in Library, See No. LT 5476/17/21]

(xxvi) Nagaland Rural Bank, Kohima

[Placed in Library, See No. LT 5477/17/21]

(xxvii) Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar

[Placed in Library, See No. LT 5478/17/21]

(xxviii) Paschim Banga Gramin Bank, Howrah

[Placed in Library, See No. LT 5479/17/21]

(xxix) Prathama U.P. Gramin Bank, Moradabad

[Placed in Library, See No. LT 5480/17/21]

(xxx) Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry

[Placed in Library, See No. LT 5481/17/21]

(xxxi) Punjab Gramin Bank, Kapurthala

[Placed in Library, See No. LT 5482/17/21]

(xxxii) Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur

[Placed in Library, See No. LT 5483/17/21]

(xxxiii) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor

[Placed in Library, See No. LT 5484/17/21]

(xxxiv) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak

[Placed in Library, See No. LT 5485/17/21]

(xxxv) Saurashtra Gramin Bank, Rajkot

[Placed in Library, See No. LT 5486/17/21]

(xxxvi) Tamil Nadu Grama Bank, Salem

[Placed in Library, See No. LT 5487/17/21]

(xxxvii) Telangana Grameena Bank, Hyderabad

[Placed in Library, See No. LT 5488/7/21]

(xxxviii) Tripura Gramin Bank, Agartala

[Placed in Library, See No. LT 5489/17/21]

(xxxix) Utkal Grameen Bank, Bolangir

[Placed in Library, See No. LT 5490/17/21]

(xl) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

[Placed in Library, See No. LT 5491/17/21]

(xli) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur

[Placed in Library, See No. LT 5492/17/21]

(xlii) Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun

[Placed in Library, See No. LT 5493/17/21]

(xliii) Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

[Placed in Library, See No. LT 5494/17/21]

(4) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Rural Banks for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5495/17/21]